

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर**

क्रमांक:- खअ/भरत/रि/अप्र/खप/405/06

दिनांक

**ज्ञापन (परिपत्र)**

चूंकि खनन पट्टा वास्ते खनिज मैसेनरी स्टोन क्षेत्र 200X50 वर्गमीटर निकट ग्राम जसवर तहसील वैर जिला भरतपुर के खसरा नम्बर 364 में अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर के आदेश क्रमांक :-अखअ/भरत रि/खप /405/06/2091 दिनांक 28.08.08 के द्वारा श्री महेन्द्र सिंह सांखला पुत्र श्री किशन लाल निवासी ए -1 रामगढ रोड महवा तहसील महवा जिला दौसा के पक्ष में संविदा पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया ।

खनन पट्टे के संविदा का निष्पादन दिनांक 24.11.08 को कराया जाकर पंजीयन दिनांक 25.11.08 को कराया गया ।


अतः निम्न अनुबन्धों व प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये पट्टाधारी को खनन कार्य की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

1	क्षेत्र	मैसेनरी स्टोन
2	खनिज	200X50 वर्ग मीटर निकट ग्राम जसवर तहसील वैर जिला भरतपुर में खसरा नम्बर 364
3	स्थिर भाटक	रुपया 15,000/- पन्द्रह हजार वार्षिक
4	अवधि	दिनांक 25.11.08 से बीस वर्ष किन्तु स्थिर भाटक का पुन निर्धारण प्रत्येक पाँच वर्ष बाद हो जावेगा ।
5	अधिशुल्क	रुपया 13/- प्रतिटनी व समय समय पर संशोधन अनुसार
6	प्रतिभूति	स्थिरभाटक की चौथाई एन0एस0सी0 के रूप में।
7	भूतल भाटक	जैसा कि राजस्व अधिकारी तय करे।
8	अन्य कर	राज्य सरकार के नियमानुसार एवं समय-समय पर संशोधन अनुसार
9	अन्य शर्त	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986एवं समय समय पर जारी संशोधन एवं परिपत्रों के अनुसार

खनि अभियन्ता, भरतपुर

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. जिला कलक्टर, भरतपुर
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर को उनके आदेश क्रमांक:-अखअ/भरत रि/खप /405/06/2091 दिनांक 28.08.08 के सम्बन्ध में ।
3. मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर को मय मानचित्र व विवरण सूची ।
4. तहसीलदार, वैर जिला भरतपुर को मय मानचित्र व विवरण सूची एवं सुपर इम्पोज खसरा नक्शे की चार-चार प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि उक्त खनन पट्टे का नियमानुसार अमल दरामद करवाने का कष्ट करें ।
5. खान सुरक्षा निदेशक, कमरा नं0 201-203 द्वितीय तल "बी" ब्लॉक सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स हापुड रोड, गाजियाबाद ( यू पी.)
6. क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर (राज0)
7. वरिष्ठ खनि कार्य देशक, कार्यालय हाजा ।
8. कार्यालय सहायक कार्यालय हाजा
9. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा । को दी जाकर लेख है कि पार्टी द्वारा अग्रिम किस्त रूपया .3750./- का भुगतान जरिये चालान न0..निल..दिनांक 03.09.08.से कर दिया है ।
10. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक, कार्यालय हाजा ।
11. संगणक, कार्यालय हाजा ।
12. रवन्ना लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर से कन्सेट टू ऑपरेट आने पर ही रवन्ना जारी करें ।
13. मानचित्रकार, कार्यालय हाजा ।
14. श्री महेन्द्र सिंह सांखला पुत्र श्री किशन लाल निवासी ए -1 रामगढ रोड महवा तहसील महवा जिला दौसाको प्रेषित कर लेख है कि उक्त खनन पट्टे का नियमानुसार अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार वैर जिला भरतपुर से सम्पर्क करें । साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर से कन्सेट टू ऑपरेट प्राप्त करने के बाद ही क्षेत्र में खनन कार्य करें
15. श्रीमान् अधीक्षण भू वैज्ञानिक (रि0 सै0 )सह नोडल अधिकारी (वेवसाईट अपडेशन) निदेशालय उदयपुर
16. रक्षित पत्रावली

  
खनि अभियन्ता, भरतपुर

रि-1  
11/5/09

7375  
11/5/09

2722  
11/5/09